



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-16092026-276272
CG-RJ-E-16092026-276272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4823]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4823]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना शुद्धिपत्र

जयपुर, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5013(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20 ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार भारत सरकार, रेल मंत्रालय ((उत्तर पश्चिम रेलवे, निर्माण विभाग) की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II- खंड 3- उपखंड-II में प्रकाशित 20A की अधिसूचना संख्या एसओ 4829 (ई) जयपुर गजट आई डी सी.जी.-आर.जे.-अ.-02092026-275922 दिनांक 01 सितम्बर 2026 के केवल अंग्रेजी अनुवाद (अनुसूची) में निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जाएगा और प्रतिस्थापित किया जाएगा.

भारत के राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित	अब संशोधन इस प्रकार किया जाना है
राजस्थान राज्य में रेलवे की विशेष रेल परियोजना “उत्तर पश्चिम रेलवे के समदड़ी बाइपास लाइन (1.37 किलोमीटर) परियोजना” हेतु पाली जिले के बाली उपखंड में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण	राजस्थान राज्य में रेलवे की विशेष रेल परियोजना “उत्तर पश्चिम रेलवे के समदड़ी बाइपास लाइन (1.37 किलोमीटर) परियोजना” हेतु बालोतरा जिले के सिवाना उपखंड में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

[फा. सं. उ.प.रे./मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-26]

अमित जैन, मुख्य इंजिनियर (निर्माण) –मुख्यालय

नोट :- मूल अधिसूचना संख्या एसओ 4829 (अ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में 31.08.2026 को प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION CORRIGENDUM

Jaipur, the 9th September, 2026

S.O. 5013(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in notifications of The Government of India, Ministry of Railways (North Western Railway, Construction department)

The following details shall be amended and substituted in English Version (Schedule) of the 20A Notification No. SO 4829 (E) Jaipur Gazette ID CG-RJ-E-02092026-275922 dated 1st Sept., 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II- Section 3- Subsection-II.

Already Published in Gazette of India	To be amended as under
Brief details of the land, with or without structures, to be acquired in the Bali sub-division of Pali district for the Special Project for “Samdari Bypass(1.37 Km.) of North-Western Railway project.” in the state of Rajasthan	Brief details of the land, with or without structures, to be acquired in the Siwana sub-division of Balotra district for the Special Project for “Samdari Bypass(1.37 Km.) of North-Western Railway project.” in the state of Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXVI]

AMIT JAIN, Chief Engineer (Construction) HQ

Note:- Original Notification No. SO 4829 (E) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 31st August, 2026.